न्यायालय, सिविल जज (जुनियर डिविजन), बगहा, पश्चिम चम्पारण, बिहार।

(पीठासीन अधिकारीः—किरण कुमारी चौरसिया)

स्वत्व वाद संख्याः—43/2023

सी0 आई0 एस0 नम्बरः—120/2023

सत्यनारायण मिश्रा बनाम शम्भु ठाकुर और अन्य

Date-	Order with initials of the Judge	Office note as to action taken on order (if any) and date
13.02.2026	**1.** वाद, आवेदिका/मध्यक्षेपक वेदावली देवी, पति शम्भु ठाकुर, निवासी बगही, थाना—गोवर्धना डुमरी, पो0 सेमरी डुमरी, जिला पश्चिम चम्पारण की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.10.2025 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी0 पी0 सी0 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु लंबित है। वाद पुकार किया गया। पुकार पर मध्यक्षेपक, वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदन पर सभी पक्षों को सुना। **2.** आवेदक की ओर से अभिकथन किया गया है कि वादी ने यह वाद स्वत्व, अधिकार और दखल कब्जा का अनुतोष पाने के लिए दाखिल किया है। वादी के पूर्वज भवन मिश्र थे, भवन मिश्र के दो लड़के नकछेद मिश्र और जग्गु मिश्र हुये। नकछेद मिश्र के लड़के दंगल मिश्र और दंगल मिश्र के लड़के सत्यनारायण मिश्र हुए। सत्यनारायण मिश्र अपनी पत्नी सुमित्रा देवी एवं लड़के अनिल मिश्र, सरमेन्द्र मिश्र और लड़की शीला देवी, रिता देवी और पिंकी देवी को छोड़कर मरे। जग्गु मिश्र के लड़के भूलन मिश्र और लड़की फुलमति और दलमति देवी हुई। फुलमति की शादी रामकृपाल पाण्डेय से हुई, जिससे उन्हें दो लड़के प्रभाकर पाण्डेय और गिरिश पाण्डेय हुए। अपनी विधिक आवश्यकता के लिए प्रभाकर पाण्डेय और गिरिश पाण्डेय ने मौजा—बगही स्थित खाता संख्या—15, खेसरा संख्या—371, रकबा 0—5—16 धुर जमीन का रजिस्टर्ड बयनामा, दिनांक 17.02.2024 को मध्यक्षेपक आवेदिका वेदावली देवी को कर दिया और उसे दखल कब्जा दे दिया। यह भूमि इस वाद में विवादित भूमि है। इस प्रकार वर्तमान वाद में मध्यक्षेपक आवेदिका का हित निहित है। अतः वाद के उचित निर्णय के लिए आवेदिका आवश्यक पक्षकार है। इनका आगे कहना है कि सत्यनारायण मिश्र के वारिसान और पत्नी सुमित्रा कौर वगैरह ने श्रीमान् सब जज, बगहा के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या—309/2024, सुमित्रा कौर वगैरह बनाम वेदावली देवी वगैरह दाखिल किया है। जो लंबित है। जिसमें विवादित खाता 15, खेसरा संख्या—371 वाद के विषयवस्तु है। वादी ने यह वाद स्वत्व अधिकार और दखल कब्जा का अनुतोष पाने के लिए दाखिल किया है। जबकि स्वत्व वाद संख्या—309/2024 बयनामा दस्तावेज संख्या—1454 प्रभाकर पाण्डेय बनाम वेदावली देवी को शून्य और वातिल घोषित कराने तथा निषेधाज्ञा अनुतोष के लिए दाखिल किया गया है। दोनों स्वत्व वाद के अनुतोष में आपस में विरोधाभास है। स्वत्व वाद संख्या—309/24 में वाद का मूल्यांकन तीन लाख तेरासी हजार रूपया सत्यनारायण मिश्र के वारिसान ने किया है। जबकि वर्तमान वाद का मूल्यांकन बहुत कम किया गया है, वर्तमान वाद न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के बाहर है। अतः यह वाद न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। मध्यक्षेपक आवेदिका का वर्तमान वाद में हित निहित है। आवेदिका को वर्तमान वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना	

	अतिआवश्यक है। अतः आवेदिका को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने का आदेश देने के लिए प्रार्थना किया गया है। आवेदन शपथपत्र के द्वारा समर्थित है। मध्यक्षेपक की ओर अपने समर्थन में स्वत्ववाद संख्या–43/2023, सत्यनारायण मिश्र बनाम शंभु ठाकुर में आवेदन अन्तर्गत आदेश 22, नियम–3 की छायाप्रति, स्वत्ववाद संख्या–309/2024, सुमित्रा कौर बनाम् वेदावली देवी के वादपत्र की छायाप्रति, वैयनामा दस्तावेज प्रभाकर पाण्डेय बनाम वेदावली देवी, दिनांक 17.02.2024 की छायाप्रति। जग्गु मिश्र के नाम की वर्ष 2023–2024 की लगान रसीद प्रस्तुत किया। **3.** प्रश्नगत आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 22.11.2025 को प्रस्तुत करते हुए वादी ने अभिकथन किया है कि प्रश्नगत आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। वर्तमान वाद में विवादित भूमि खाता 25, खेसरा 371, रकबा 0–5–16 धुर, जिसमें रकबा 0–0–4, खेसरा 372 है। इस प्रकार खाता 25, खेसरा 371 का कुल खतियानी रकबा 0–5–12 (पॉच कट्ठा बारह धुर) है। जिसका हाल सर्वे खतियान वरन बहेलिया निवासी बगही के नाम तैयार हुआ। इस भूमि के खतियानी रैयत द्वारा अपनी जमीन पूजा पाठ के लिए जग्गु मिश्रा को दिया गया था। जिसपर जग्गु मिश्रा बतौर मालिक सोलह आना के दखलकार हुए। अंचल रामनगर के द्वारा जग्गु मिश्रा का शांतिपूर्ण दखल कब्जा पाकर उनके नाम से जमाबंदी सृजित कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि जग्गु मिश्रा की स्वअर्जित सम्पति थी, जिसपर जग्गु मिश्रा तनहा दखलकार रहे तथा जग्गु मिश्रा ने अपनी स्वअर्जित सम्पति अपने पोता सत्यनारायण मिश्र की सेवा टहल से खुश होकर निबंधित बक्सीसनामा दस्तावेज संख्या–3726, दिनांक 16.04.85 को लिखकर दखल कब्जा दे दिया। जिसकी जमाबंदी सत्यनारायण मिश्रा के नाम से चलती है। वर्तमान वाद दिनांक 01.06.2023 को न्यायालय में दाखिल हुआ, दिनांक 13.06.2023 को प्रविष्ट किया गया तथा प्रतिवादीगण दिनांक 07.08.2023 को न्यायालय में उपस्थित हो गए तथा दिनांक 13.10.2023 को अपना लिखित कथन भी प्रस्तुत कर दिये। मध्यक्षेपक प्रतिवादी संख्या–1 की पत्नी और प्रतिवादी संख्या–2 एवं 3 की मॉ है। जिसको वर्तमान वाद की सारी कार्यवाही की जानकारी है तथा वर्तमान वाद में सन्निहित भूमि की भी पूरी जानकारी है। प्रतिवादीगण के द्वारा एक सोची–समझी साजिश रचकर वर्तमान वाद लंबन के दौरान वादीगण की जमीन के निस्वत बिना आधार एवं अधिकार के व्यक्तियों को खड़ा कराकर गलत खाता व गलत रकबा को विवरण अंकित कराकर फर्जी, फरेबी व दिखावटी बयनामा दिनांक 17.02.2024 को तैयार करा ली है। जिसका मौका पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। खाता 15 डोमा धांगड़ की जमीन है तथा वर्तमान वाद से खाता 15 को कोई संबंध नहीं है। उक्त बयनामा के आधार पर मध्यक्षेपक के द्वारा अंचल अधिकारी, रामनगर को दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया था, जो अंचल अधिकारी रामनगर, के द्वारा दिनांक 17.08.2024 को खारिज कर दिया गया है, जिसे भी मध्यक्षेपक के द्वारा छुपाया गया है। वर्तमान वाद में सन्निहित खाता 25 है जबकि मध्यक्षेपक के द्वारा निबंधित बयनामा खाता 15 के निस्वत तैयार किया गया है, जो अलग है तथा मध्यक्षेपक 25 के निस्वत कोई दावा नहीं कर सकती है तथा मघ्यक्षेपक के द्वारा बयनामा दस्तावेज वर्तमान वाद के लंबन के दौरान तैयार कराया गया है जो धारा 52 सम्पति हस्तांतरण अधिनियम के तहत रोक लगाता है। स्वत्व वाद संख्या–309/24 अलग वाद है तथा उक्त वाद का स्वत्व अलग है तथा दोनों वाद के पक्षकार भी अलग–अलग है। मध्य क्षेपक आवेदिका वर्तमान वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना है कि मध्य क्षेपक आवेदिका के द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय। **4.** अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह वाद,	

वादी द्वारा वादपत्र के मद संख्या–2 में वर्णित भूमि पर वादी के स्वत्व, अधिकार और दखल कब्जा घोषित करने, प्रतिवादीगण द्वारा किये गए अवैध दखल कब्जा को हटाते हुये वादी को उसका खाली कब्जा वापस दिलाने की डिक्री हेतु दाखिल किया गया है। वादपत्र के मद संख्या–2 में वर्णित वादभूमि निम्ननुसार हैः–

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
बगही	25	371	0–01–00	उतर– शे0 सरफुद्दीन दक्षिण–दुखहरन मुशहर पूरब–वादी पश्चिम–सड़क

वादी के दावा का आधार उसके दादा जग्गु मिश्रा द्वारा वादी सत्यनारायण मिश्र के पक्ष में निष्पादित निबंधित बक्सीसनामा दस्तावेज संख्या–3726, दिनांक 16.04.85 है।

5. दिनांक 29.10.2025 को आवेदक/मध्यक्षेपक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर इस आधार पर वाद में पक्षकार बनाने की प्रार्थना की गई है कि उसने वाद के जमाबंदीदार जग्गु मिश्र के वंशज प्रभाकर पाण्डेय और गिरिश पाण्डेय से दिनांक 17.02.2024 के निबंधित विक्रय विलेख के माध्यम से खाता संख्या–15, खेसरा संख्या–371, रकबा 0–5–16 क्रय किया। इस प्रकार उसका वाद की विषय–वस्तु हित है तथा वह वाद के न्यायपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक पक्षकार है। अतः वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसका नाम प्रतिवादी के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। मध्यक्षेपक की ओर अपने समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है–

(i) स्वत्ववाद संख्या–43/2023, सत्यनारायण मिश्र बनाम शंभु ठाकुर में आवेदन अन्तर्गत आदेश 22, नियम–3 की छायाप्रति,

(ii) स्वत्ववाद संख्या–309/2024, सुमित्रा कौर बनाम् वेदावली देवी के वादपत्र की छायाप्रति,

(iii) वैयनामा दस्तावेज संख्या– 1454, प्रभाकर पाण्डेय बनाम वेदावली देवी, दिनांक 17.02.2024 की छायाप्रति,

(iv) जग्गु मिश्र के नाम की वर्ष 2023–2024 की लगान रसीद प्रस्तुत किया।

आवेदक वाद भूमि में वैयनामा दस्तावेज संख्या– 1454, प्रभाकर पाण्डेय बनाम वेदावली देवी, दिनांक 17.02.2024 के आधार पर अपना हित होना अभिकथित कर रहे हैं। वैयनामा दस्तावेज संख्या– 1454, प्रभाकर पाण्डेय बनाम वेदावली देवी, दिनांक 17.02.2024 के अवलोकन से यह विदित होता है कि इसकी विषय–वस्तु मौजा– बगही, हल्का–बगही, थाना संख्या–562, थाना–गोवर्धना डुमरी तौजी संख्या–729 में स्थित भूमि है, जिसका खाता संख्या–15 तथा खेसरा संख्या–371, रकबा 0–05–16–0(05 कट्ठा 16 धूर), डिसिमिल–66 (छियासठ), चौहद्दी के उत्तर मु0–चमेली देवी, दक्षिण– विनोद शर्मा व लक्ष्मी ठाकुर, पूरब– मु0 चमेली देवी व मुनीब उरॉव तथा पश्चिम शम्भु ठाकुर है, जबकि इस वाद की विषय–वस्तु मौजा– बगही में स्थित खाता संख्या–25, खेसरा संख्या–341, रकबा 0–01–00 की भूमि है, जिसकी चौहद्दी– उत्तर – शे0 सरफुद्दीन, दक्षिण–दुखहरन मुशहर, पूरब–वादी, पश्चिम–सड़क है। इस प्रकार मध्यक्षेपक द्वारा अभिकथित जमीन एवं इस वाद की

विषय–वस्तु दोनों ही भिन्न–भिन्न हैं।

6. इसी प्रकार आवेदक द्वारा स्वत्ववाद संख्याI–309/2024, सुमित्रा कौर बनाम् वेदावली देवी के वादपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया गया है कि हस्तगतवाद में वादी सत्यनारायण मिश्र के वारिसान और पत्नी सुमित्रा कौर वगैरह ने श्रीमान् सब जज, बगहा के न्यायालय में स्वत्व वाद संख्या–309/2024, सुमित्रा कौर वगैरह बनाम वेदावली देवी वगैरह आवेदक और अन्य लोगों के विरूद्ध दाखिल किया है, जो लंबित है। जिसमें विवादित खाता 15, खेसरा संख्या–371 वाद के विषयवस्तु है। वादी ने हस्तगत वाद, स्वत्व, अधिकार और दखल–कब्जा का अनुतोष पाने के लिए दाखिल किया है, जबकि स्वत्व वाद संख्या–309/2024, बयनामा दस्तावेज संख्या–1454 प्रभाकर पाण्डेय बनाम वेदावली देवी को शून्य और वातिल घोषित कराने तथा निषेधाज्ञा अनुतोष के लिए दाखिल किया गया है। अतः दोनों स्वत्व वाद के अनुतोष में आपस में विरोधाभास है। इसी प्रकार स्वत्व वाद संख्या–309/24 में वाद का मूल्यांकन तीन लाख तेरासी हजार रूपया है, जबकि वर्तमान वाद का मूल्यांकन बहुत कम किया गया है। अतः वर्तमान वाद न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्वत्व वाद संख्या–309/2024, सुमित्रा कौर वगैरह बनाम वेदावली देवी वगैरह के वादपत्र की छायाप्रति का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की विषय–वस्तु एवं अनुतोष हस्तगत वाद की विषय–वस्तु एवं अनुतोष से अलग हैं।

7. इस प्रकार, प्रश्नगत आवेदन–पत्र, वाद पत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आवेदिका का विवादित सम्पति में कोई हित होना इस स्तर पर प्रतीत नहीं है तथा उनका वाद का आवश्यक पक्षकार होना भी प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदिका वेदावली देवी पति शम्भु ठाकुर निवासी बगही, थाना–गोवर्धना डुमरी, पो0 सेमरी डुमरी, जिला पश्चिम चम्पारण की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.10.2025 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी0 पी0 सी0 आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदिका वेदावली देवी पति शम्भु ठाकुर निवासी बगही, थाना–गोवर्धना डुमरी, पो0 सेमरी डुमरी, जिला पश्चिम चम्पारण की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.10.2025 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सी0 पी0 सी0 को अस्वीकार किया जाता है।

8. वाद दिनांक 12.03.2026 वास्ते वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 12.03. 2025 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 और 2 सी0 पी0 सी0 पर सुनवाई हेतु।

लेखापित

(किरण कुमारी चौरसिया)
सिविल जज (जु. डि.),
बगहा, पश्चिम चम्पारण।